राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी सीताराम सहित श्री धीर सिंह तोमर अधिवक्ता। प्रकरण आज अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

इसी प्रास्थिति पर आहत / फरियादी मुकेश तथा आरोपी ने उपस्थित होकर उनके मध्य राजीनामे की चर्चा हेतु प्रकरण मीडिएशन के लिए रैफर किये जाने का निवेदन किया।

निवेदन सद्भावी प्रतीत होने से विचारोपंरात स्वीकार किया गया।

प्रकरण प्रशिक्षित मीडिएटर श्री पी.सी.आर्य को रैफरल ऑर्डर सहित प्रेषित किया जाये।

प्रकरण मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट हेतु कुछ समय पश्चात् पेश हो।

जे.एम.एफ.सी. गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत।

मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्त, जिसके अनुसार उभय पक्ष के मध्य शमन कार्यवाही करने हेत् सहमति बन गई है।

इसी प्रास्थिति पर फरियादी मुकेश पुत्र बालिकशन जाटव, निवासी—ग्राम नौनेरा ने उसके अधिवक्ता श्री डी.आर. बसंल के साथ उपस्थित होकर उनका उपस्थिति पत्रक प्रस्तुत किया।

फरियादी / आवेदक मुकेश ने उसके अधिवक्ता श्री डी. आर.बसंल के साथ उपस्थित होकर अभियुक्त पर लगे धारा 323 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अभियोग के शमन अनुमति संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 "02" द.प्र.स. प्रस्तुत किया।

फरियादी मुकेश अभियोजित अपराध की धारा 323 भा. द.सं. का शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार है। उसकी पहचान श्री डी.आर.बसंल अधिवक्ता द्वारा की है।

फरियादी को सुना गया। फरियादी द्वारा स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के अपराध का शमन करना स्वीकार किया गया है। अभियुक्त और उसके संबंध मधुर हो चुके हैं और उनके मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है। उभयपक्ष की ओर से फरियादी/आवेदक तथा आरोपी द्वारा हस्ताक्षरित एवं आहत के रंगीन छायाचित्र सहित राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष को सुना गया।

अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि अभियोजित नहीं है। आवेदन अस्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी प्रकरण में परिलक्षित नहीं है। अतः प्रस्तुत आवेदन स्वीकारते हुए अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजित की धारा 323 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध का शमन स्वीकार किया जाता है। तदानुसार अभियुक्त को भा.द.सं. की धारा 323 के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोजन से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण में आरोपी एवं फरियादी बालिकशन के मध्य पूर्व नियत तिथि 16/12/2016 को राजीनामा हो जाने के कारण आरोपी को धारा 294, 323 "01 काउण्ट" एवं 506 भाग।। से दोषमुक्त किया जा चुका है।

अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

प्रकरण में आरोपी से जब्तशुदा बांस की लाठी मूल्यहीन होने के कारण नष्ट कर व्ययनित की जाये।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में लेखबद्ध कर प्रकरण विहित समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाए।

जे.एम.एफ.सी., गोहद